भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *231
दिनांक 07.08.2024 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में आत्मनिर्भरता

†*231. श्री बलभद्र माझी:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने देश को महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने आत्मनिर्भर लक्ष्य को सरल बनाने के लिए कोई विधान लागू किया है या कोई संशोधन किए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

'महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में आत्मनिर्भरता' पर श्री बलभद्र माझी और श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न सं.231 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): जी, हां। केंद्र सरकार ने भारत को महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई पहल की हैं। महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के गवेषण और खनन को बढ़ाने, उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को 2023 में संशोधित किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार को 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए ब्लॉकों की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। अब तक 14 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के गवेषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित 29 खनिजों के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति नामक एक नई खनिज रियायत शुरू की गई है जो अनुज्ञप्तिधारक को इन खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण कार्य करने की अनुमति देगी।

मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण कार्यक्रम को बढ़ाने पर जोर दिया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देश भर में खनिज गवेषण के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। तदनुसार, पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के दौरान, जीएसआई ने विभिन्न महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर 368 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की थीं। वर्तमान कार्य सत्र 2024-25 के दौरान, जीएसआई ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की 196 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।

महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों तथा गहराई में स्थित खनिजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए खनिज गवेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुकर बनाने, बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) ने संयुक्त अनुज्ञप्ति और गवेषण अनुज्ञप्तिधारकों के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु दो योजनाएं जारी की हैं। इन योजनाओं के तहत, अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा किए गए गवेषण व्यय की 50% तक प्रतिपूर्ति की जाती है।

इसके अलावा, गवेषण में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए खान मंत्रालय ने 23 निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) से वित्त पोषण के माध्यम से गवेषण परियोजनाएं शुरू कर रही हैं।

वर्ष 2023 में खान मंत्रालय ने अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और वाणिज्यीकरण के बीच के अंतर को पाटने के लिए खनन और खनिज क्षेत्र में कार्यरत स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को वित्तपोषित करने हेतु एसएंडटी-प्रिज्म (स्टार्ट- अप्स और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना) की शुरुआत करके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया।

*****